भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 357

(04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाएं

357. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या सरकार ने वर्ष 2023-24 तक दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत दस करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है;

(ख): यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग): इस संबंध में निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(घ): आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में उन ब्लॉकों का ब्यौरा क्या है, जिनमें उक्त मिशन को लागू किया गया है; और

(ङ): उक्त मिशन के तहत आंध्र प्रदेश के लिए केंद्रीय आवंटन 756 करोड़ रुपये किए गए हैं, लेकिन केवल 377 करोड़ रुपये जारी किए गए और महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना और स्टार्टअप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम के तहत कोई राशि जारी नहीं की गई, इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क): सरकार ने 2023-24 तक दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने का लक्ष्य रखा था। मार्च 2024 में 10 करोड़ परिवारों को संगठित करने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया।

(ख) और (ग): दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लक्ष्य और संगठित किए गए परिवारों की संख्या अनुबंध में दी गई है।

(घ): नेल्लोर जिले में 37 ग्रामीण ब्लॉक हैं। सभी 37 ब्लॉक डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत आते हैं।

(ड़) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत केंद्रीय आवंटन 756 करोड़ रुपये था। हालांकि, केवल 377 करोड़ रुपये ही जारी किए गए, पूरी राशि जारी न किए जाने का कारण राजकोष से निधि प्राप्ति में देरी के कारण राज्य द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत न करना है।

वर्तमान वित्त वर्ष के लिए आंध्र प्रदेश के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत स्वीकृत केंद्रीय अंश 307.69 करोड़ रुपये है जिसमें से अब तक 76.92 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी), जोकि डीएवाई-एनआरएलएम के तहत एक प्रमुख उप-योजना है, का उद्देश्य महिला किसानों की आजीविका और आय को बढ़ाना है। मंत्रालय ने 2011 में एमकेएसपी के तहत 13 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, जिसमें आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला भी शामिल है। दो बार अंतिम तिथि आगे बढ़ाये जाने के बाद, ये परियोजनाएं वित्त वर्ष 2019 में बंद कर दी गईं।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, मंत्रालय ने एमकेएसपी के लिए 64 करोड़ रुपये की राशि के लिए वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी थी जिसमें केंद्रीय अंश 38.40 करोड़ रुपये और राज्य अंश 25.60 करोड़ रुपये है। इस वर्ष के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्य में एमकेएसपी के तहत 160 एकीकृत कृषि क्लस्टर (आईएफसी) का निर्माण शामिल था। तथापि, आंध्र प्रदेश एसआरएलएम ने वित्त वर्ष 2023-24 में एमकेएसपी के लिए बजट शीर्ष नहीं खोला है। इसके अलावा, एमकेएसपी बजट प्रावधान वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) टीआरएसवाई-07 रिपोर्ट में परिलक्षित नहीं हुआ जो व्यय विभाग के मानदंडों के अनुसार केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत निधि जारी करने के लिए अनिवार्य है। जिसके कारण मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एमकेएसपी के लिए आंध्र प्रदेश एसआरएलएम को कोई धनराशि जारी नहीं की है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 15 करोड़ रुपये (9 करोड़ रुपये केन्द्रीय अंश + 6 करोड़ रुपये राज्य अंश) के बजटीय आवंटन में से केन्द्रीय अंश के रूप में 2.25 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) के संबंध में, जो एक मांग-संचालित योजना है, राज्य से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करने के आधार पर निधि जारी की जाती है। तथापि, आंध्र प्रदेश एसआरएलएम ने एसवीईपी घटकों के लिए आवश्यक डीपीआर और वित्तीय दस्तावेज प्रस्तुत करने में देरी की है जिससे कार्यक्रम के लिए समय पर निधियां जारी करने में भी देरी हुई है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 13.33 करोड़ रुपये (8 करोड़ रुपये केंद्रीय अंश + 5.33 करोड़ रुपये राज्य अंश) के कुल आवंटन में से 2 करोड़ रुपये की राशि केंद्रीय अंश के रूप में जारी की गई है।

अनुबंध

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत महिलाओं के संबंध में लोक सभा में दिनांक 04.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 357 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य	परिवारों को संगठित करने संबंधी लक्ष्य	24 मार्च,2024 तक संगठित परिवारों की संख्या
अंडमान एंड निकोबार	15000	13194
आंध्र प्रदेश	8310437	9075289
अरूणाचल प्रदेश	84623	86937
असम	3593756	4111020
बिहार	12332493	12713428
छत्तीसगढ	3193288	3068427
दमन दीव और दादरा एवं नगर हवेली	12469	12695
गोवा	45947	50298
गुजरात	3031245	2783006
हरियाणा	730806	629094
हिमाचल प्रदेश	338103	378542
जम्मू एवं कश्मीर	950000	797805
झारखंड	3446912	3589607
कर्नाटक	3239273	4207374
केरल	3644669	4002478
लद्दाख	13315	11710
लक्षद्वीप	3692	4363
मध्य प्रदेश	6549384	5829972
महाराष्ट्र	7109774	6525549
मणिपुर	207481	99810
मेघालय	418254	444264
मिजोरम	73765	85934
नागालैंड	121260	135261

ओडिशा	6610605	5757107
पुदुचेरी	45931	59714
पंजाब	657609	543246
राजस्थान	4600000	3804161
सिक्किम	58557	56675
तमिलनाडु	3675989	4023939
तेलंगाना	4593482	4820573
त्रिपुरा	460061	494675
उतर प्रदेश	11807911	9507884
उत्तराखंड	491114	497777
पश्चिम बंगाल	11593207	12251533
कुल	**102060412**	**100473341**